

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 16] नई दिल्ली, अगस्त 20—अगस्त 26, 2006, शनिवार/श्रावण 29—भाद्र 4, 1928
No. 16] NEW DELHI, AUGUST 20—AUGUST 26, 2006, SATURDAY/SRAVANA 29—BHADRA 4, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2006

का.नि.आ. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन "हिन्दी अधिकारी" भर्ती नियम, 1997 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में 'हिन्दी अधिकारी' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन "हिन्दी अधिकारी" भर्ती नियम, 2006 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसके पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करता अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हिन्दी अधिकारी	05*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय	6500-200- 10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
(11)	(12)				
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : वरिष्ठ सहायक (हिन्दी) जिसने ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो				
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			
(13)	(14)				
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।				
1. मुख्य नियंत्रक अनुसंधान और विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	—अध्यक्ष				
2. कार्मिक निदेशक या निदेशक मानव संसाधन विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	—सदस्य				
3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या एकीकृत वित्त (आर एंड डी) से एक अधिकारी जो अवर सचिव के ग्रेड से कम न हो	—सदस्य				

[फा. सं. डी आर डी ओ/76239/एच ओ/एम पी डी/मिसिल सं. डी एच आर डी/76239/एच ओ/सी/पी/01/2188/डी (आर एंड डी)]

एस. के. देब, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 26th July, 2006

S.R.O. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation 'Hindi Officer' Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of 'Hindi Officer' in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation 'Hindi Officer' Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed with these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hindi Officer	05* (2006) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)	(8)		(9)		(10)
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion	Promotion : Senior Assistant (Hindi) with 3 years regular service in the grade.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :—	Not applicable.
1. Chief Controller Research and Development, Defence Research and Development Organisation.	—Chairman
2. Director of Personnel or Director, Human Resource Development, Def. Res. & Dev. Organisation	—Member
3. An Officer not below the rank of Under Secretary from Deptt. of Def. Res. & Dev. or Integrated Finance (R & D)	—Member

[File No. DRDC/76239/HO/MPD/No. DHRD/76239/HO/C/P/01/2188/D(R&D)]

S. K. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना डिजाइन अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना डिजाइन अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना डिजाइन अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में,—

(i) ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-I (इंजीनियरी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(1) संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष

(2) सहायक मुख्य कार्मिक (सिविलियन कार्मिक),
रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय या
सिविलियन कार्मिक निदेशक,
रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय —सदस्य”

(ii) ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-I (विद्युत) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- | | |
|--|----------|
| (1) संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय | —अध्यक्ष |
| (2) सहायक मुख्य कार्मिक (सिविलियन कार्मिक),
रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय या
सिविलियन कार्मिक निदेशक,
रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय | —सदस्य” |

(iii) ज्येष्ठ डिजाइन अधिकारी श्रेणी-I (निर्माण) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- | | |
|--|----------|
| (1) संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय | —अध्यक्ष |
| (2) सहायक मुख्य कार्मिक (सिविलियन कार्मिक),
रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय या
सिविलियन कार्मिक निदेशक,
रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय | —सदस्य” |

[सं. एफ. सीपी (जी) 1458/452/आरआर/डी (एपीपीटीएस)]

वी.ए. चावडा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th August, 2006

S.R.O. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy Design Officers (Group ‘A’ and Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2002, in the Ministry of Defence, namely :—

1. (1) These rules may be called The Navy Design Officers (Group ‘A’ and Group ‘B’ posts) Recruitment Amendment Rules, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Navy Design Officers (Group ‘A’ and Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2002, in the Schedule,—

(i) against serial number 4 relating to the post of Senior Design Officer Grade-I (Engineering) under column (13), for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| (1) Joint Secretary (Navy),
Ministry of Defence | —Chairman |
| (2) Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel),
Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) or
Director of Civilian Personnel,
Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) | —Member” |

(ii) against serial number 5 relating to the post of Senior Design Officer Grade-I (Electrical) under column (13), for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| (1) Joint Secretary (Navy),
Ministry of Defence | —Chairman |
| (2) Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel),
Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) or
Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters of
Ministry of Defence (Navy) | —Member” |

2497 58106-2

(iii) against serial number 6 relating to the post of Senior Design Officer Grade-I (Construction) under column (13), for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for promotion or confirmation) consisting of :—

- | | |
|---|-----------|
| (1) Joint Secretary (Navy),
Ministry of Defence | —Chairman |
| (2) Assistant Chief of Personnel (Civilian Personnel),
Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy) or
Director of Civilian Personnel,
Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy). | —Member |

[No. F. CP(G)/1458/452/RR/D(Appts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा कारखाना कैटीन कर्मचारी भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना कारखाना कैटीन कर्मचारी भर्ती नियम, 2006 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. पर्यवेक्षक श्रेणी I	1*(2006) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह “ग” अनुसूचित अनौद्योगिक	5000-150- 8000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रान्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : पर्यवेक्षक श्रेणी 2 (4000-6000 रुपये) जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आठ वर्ष की सेवा की है। टिप्पणी : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
- जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन - ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापना अधिकारी - असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. पर्यवेक्षक श्रेणी 2	04*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अनुसूचिवीय अनौद्योगिक	4000-100-6000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(11)		(12)	
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : पर्यवेक्षक श्रेणी 3/सहायक पर्यवेक्षक श्रेणी 1 (3050-4590 रुपये) जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आठ वर्ष की सेवा की है। टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।	

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिंसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन	—अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापना अधिकारी	—सदस्य
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. पर्यवेक्षक श्रेणी 2/सहायक पर्यवेक्षक श्रेणी 1	23*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय अनौद्योगिक	3050-75-3950-80-4590 रु.	चयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	(क) मैट्रिक परीक्षा के साथ बुक कीपिंग/स्टोर कीपिंग रोकड़ लेखा में एक वर्ष का डिप्लोमा (ख) उस ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

(11)

आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पास स्तंभ 8 में अभिकथित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों।

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(14)

लागू नहीं होता

1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिंसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन —अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी —सदस्य
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर —सदस्य

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4. सहायक पर्यवेक्षक-सह रोकड़िया/लिपिक- पर परिवर्तन किया सह-रोकड़िया/ सहायक पर्यवेक्षक-श्रेणी 2/लेखाकार 15*(2006) *कार्यभार के आधार सेवा समूह "ग" 3050-75-3950- 80-4590 रु. चयन (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है)

(7)

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

मैट्रिक परीक्षा साथ ही ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव।

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

(11)

आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पास स्तंभ 8 में अभिकथित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों।

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :-

(14)

लागू नहीं होता

1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिंसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन —अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी —सदस्य
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर —सदस्य

2497 42106-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. रसोइया	152* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अननुसचिवीय, अनौद्योगिक	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है)
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	मैट्रिक परीक्षा साथ ही ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष		
(11)	(12)				
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा।	आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पास स्तंभ 8 में अभिकथित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों।				
(13)	(14)				
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता				
1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिंसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन	—अध्यक्ष				
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी	—सदस्य				
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर	—सदस्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. रसोई सहायक/चाय और कॉफी बनाने वाला	9* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2610-60-3150-65-3540 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है)
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	आठवीं कक्षा पास तथा ट्रेड में छह महीने का कार्य का अनुभव।	आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएं-हां	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष		
(11)	(12)				
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : मसालची/धोबी/ब्याय/सफाईवाला (2550-3200 रुपये) जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो।				

@

(12)

आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पास स्तंभ 3 में अभिकथित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता

1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिंसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन —अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी —सदस्य
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. सर्वर/बीयर	61* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अनुसूचिवीय, अनौद्योगिक	2610-60-3150-65-3540 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आठवीं कक्षा पास तथा ट्रेड में छह मास का अनुभव।	आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएं-हां	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति : मसालची/धोबी/ब्याय/सफाईवाला (2550-3200 रुपये) जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो।

@

आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पास स्तंभ 8 में अभिकथित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता

1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिंसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन —अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापन अधिकारी —सदस्य
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. विक्रेता/वैंडर	231* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2610-60-3150-65-3540 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	आठवीं कक्षा पास तथा ट्रेड में छह महीने का कार्य का अनुभव।	आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएं-हां	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : मसालची/धोबी/व्वाय/सफाईवाला (2550-3200 रुपये) जिराने उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो।

@

आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पास स्तंभ 8 में अधिकश्रित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन	—अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापना अधिकारी	—सदस्य
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई आफसर	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. मसालची	11* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पास स्तंभ 8 में अभिकथित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों ।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन	—अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापना अधिकारी	—सदस्य
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. धोबी/ब्याय	34*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अननुसचिवीय अनौद्योगिक	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है ।)*

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्राइमरी स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

(11)	(12)
आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पास स्तंभ 8 में अभिकथित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों ।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिनमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक अधिकारी/कमांडिंग अधिकारी/प्रिसिपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन	—अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापना अधिकारी	—सदस्य
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर	—सदस्य

2497 48106-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. सफाईवाला	2*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अनुसूचिवीय अनौद्योगिक	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल कर 35 वर्ष तक की जा सकती है।)
					*
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	वांछनीय : चौथा स्तर।	लागू नहीं होता	2 वर्ष		
(11)	(12)				
आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सैदी भर्ती द्वारा।	आमेलन : रक्षा सेवाओं में सिविल पदों पर समरूप या समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्ति और जिनके पारा रतन 8 में अधिकथित सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों।				
(13)	(14)				
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता				
1. जनरल आफिसर कमांडिंग/निदेशक/उप निदेशक/अपर निदेशक/कमांडेंट/भारसाधक आधिकारी/कमांडिंग आधिकारी/प्रोसपल/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक मुख्य इंजीनियर/चीफ इंजीनियर परियोजना/कर्नल प्रशासन	-अध्यक्ष				
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/स्थापना अधिकारी	-सदस्य				
3. असंबद्ध विभाग से लैफ्टिनेंट कर्नल/मेजर/समतुल्य रैंक का कोई अफसर	-सदस्य				

* **टिप्पणी** :-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

@ **टिप्पणी** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

[मिसिल सं. 15203/1/ए जी/एम पी 4 (सिविल) (ए)/448/आर आर/रक्षा (नियुक्ति)/06]

वी. ए. चावडा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th August, 2006

S.R.O. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Factory Canteens Employees Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely : —

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Army Factory Canteens Employees Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a persons having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Supervisor Grade-I	01* (2006) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C', Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 5000-150-8000	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by absorption or by deputation and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation or absorption to be made

11	12				
By Promotion	Promotion : Supervisor Grade-II (Rs. 4000—6000) with 3 years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.				
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment				
13	14				
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—	Not applicable.				
1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/ Colonel Administration	—Chairman.				
2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer	—Member.				
3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/ Major/equivalent rank from an unconnected Department	—Member.				
1	2	3	4	5	6
2. Supervisor Grade-II	04* (2006) (*Subject to variation dependent on work- load)	General Central Services Group 'C', Non-Ministerial Non-Industrial.	Rs. 4000-100- 6000	Selection	Not applicable

7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
By Promotion	Promotion : Supervisor Grade-III/Assistant Supervisor Grade-I (Rs. 3050—4590) with 8 years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.				
13	14				
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—		Not applicable.			
1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel Administration		—Chairman.			
2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer		—Member.			
3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/ equivalent rank from an unconnected Department		—Member.			
1	2	3	4	5	6
3. Supervisor Grade-III/ Assistant Supervisor Grade-I	23* (2006) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services Group 'C', Non-Ministerial Non-Industrial.	Rs. 3050-75-3950- 80-4590	Selection	Between 18 to 25 years (Re- laxation for Govt. Servants upto 35 years as per instructions/ orders issued by the Central Govt. from time to time.
7	8	9	10		
Not applicable	(a) Matriculation Examination with one year Diploma in book keeping/Store keeping cash accounting. (b) Three years experience in the trade.	Not applicable	Two years for direct recruits.		

2497 48/06-5

11		12			
By absorption failing which by direct recruitment.		Absorption : Persons serving in similar/equivalent or higher grades in the civil posts in the Defence Services and possessing the qualification and experience as laid down for direct recruits in column 8.			
13		14			
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—		Not applicable.			
1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel Administration		—Chairman.			
2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer		—Member.			
3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/ equivalent rank from an unconnected Department		—Member.			
i	2	3	4	5	6
4. Assistant Supervisor- cum-Cashier/ Clerk-cum- Cashier/Cashier/ Assistant Supervisor Grade-II/ Accountant.	15* (2006) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Services Group 'C', Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950- 80-4590	Not applicable	Between 18 to 25 years (Re- laxation for Govt. Servants upto 35 years as per instructions/ orders issued by the Central Govt. from time to time.
7	8	9	10		
Not applicable	Matriculation Examination with one year's experience in the trade.	Not applicable	Two years for direct recruits.		
11		12			
By absorption failing which by direct recruitment.		Absorption : Persons serving in similar/equivalent or higher grades in the civil posts in the Defence Services and possessing the qualification and experience as laid down for direct recruits in column 8.			

13

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/
Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/
Officer Commanding/Principal/Group Commander/
Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel
Administration—Chairman.

2. Senior Administrative Officer/Establishment
Officer—Member.

3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/
equivalent rank from an unconnected
Department—Member.

1

2

3

4

5

6

5. Cook

152* (2006)
*Subject to
variation
dependent
on work-
load.

General Central
Services Group 'C',
Non-Ministerial
Non-Industrial.

Rs. 3050-75-3950-
80-4590

Non- Selection

Between 18 to 25 years (Re-
laxation for Govt. Servants
upto 35 years as per instructions/
orders issued by the Central
Govt. from time to time.)*

7

8

9

10

No applicable

Matriculation Examination with one year's
experience in the trade.

No

Two years for direct
recruits.

11

12

By direct recruitment failing which by absorption.

Absorption :

Persons serving in similar/equivalent or higher grades in the civil posts
in the Defence Services and possessing the qualifications and
experience as laid down for direct recruits in column 8.

13

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/
Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/
Officer Commanding/Principal/Group Commander/
Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel
Administration —Chairman.

2. Senior Administrative Officer/Establishment
Officer —Member.

3. An Officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/
equivalent rank from an unconnected
Department —Member.

1	2	3	4	5	6
6. Kitchen Assistant/Tea and Coffee Maker	9* (2006) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'D', Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs.2610-60-3150- 65-3540	Not Applicable	Between 18 to 25 years (Relaxation for Govt. Servants upto 35 years as per instructions/orders issued by the Central Govt. from time to time.)
7	8	9	10		
No applicable	8th Class pass with six months' experience in the trade.	Age—No. Educational Qualification—Yes.	Two years for direct recruits.		
11	12				
By promotion failing which by absorption failing both by direct recruitment.	Promotion :— Masalchi/Washerman/Boy/Safaiwala (Rs. 2550-3200) with two years' service in the grade.** Absorption : Persons serving in similar equivalent or higher grades who have been rendered surplus in the civil posts.in the Defence Services and possessing the qualifications and experience as laid down for direct recruits in column 8.				
13	14				
Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel Administration 2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer 3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/ equivalent rank from an unconnected Department	Not applicable. —Chairman. —Member. —Member.				
1	2	3	4	5	6
7. Server/Bearer	61* (2006) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services Group 'D', Non-Ministerial Non-Industrial	Rs.2610-60- 3150-65- 3540	Not applicable	Between 18 to 25 years (Relaxation for Govt. Servants upto 35 years as per instructions/orders issued by the Central Govt. from time to time.)*
7	8	9	10		
No applicable	Essential 8th standard pass with six months experience in the trade.	Age—No. Educational Qualification—Yes.	Two years for direct recruits.		

11	12
By promotion failing which by absorption failing both by direct recruitment.	Promotion : Masalchi/Washernan/Boy/Safaiwala (Rs. 2550-3200) with two year's service in the grade.** Absorption : Washerman/Boy with atleast six month's service in the grade or persons holding similar, equivalent or higher grade in the civil posts in the Defence Services possessing the qualification specified in column 8.

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel Administration —Chairman 2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member 3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/ equivalent rank from an unconnected Department —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
8. Salesman/ Vendor	231* (2006) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'D', Non-Ministerial Non-Industrial	Rs. 2610-60- 3150-65- 3540	Not applicable	Between 18 to 25 years (Re- laxation for Govt. Servants upto 35 years as per instructions/ orders issued by the Central Govt. from time to time.)*

7	8	9	10
Not applicable	Essential 8th standard pass with six months experience in the trade.	Age—No. Educational qualification—Yes.	Two years for direct recruits.

11	12
By promotion failing which by absorption failing both by direct recruitment.	Promotion : Masalchi/Washerman/Boy/Safaiwala (Rs. 2550-3200) with two year's service in the grade.** Absorption : Person serving in similar, equivalent or higher grades in the civil posts in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column 8.

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel Administration —Chairman	Not applicable.

2497 90708 - 6

3

2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member.
3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/ equivalent rank from an unconnected Department —Member.

1	2	3	4	5	6
9. Masalchi	11* (2006) (*Subject to variation dependent on work-load.)	General Central Services Group 'D', Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 to 25 years (Relaxation for Govt. Servants up to 35 years as per instructions/orders issued by the Central Govt.).*

7	8	9	10
Not applicable	Nil	Not applicable	Two years for direct recruits.

11	12
By absorption failing which direct recruitment.	Absorption : Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the civil posts in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column 8.

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.
1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel Administration —Chairman	
2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member	
3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/ equivalent rank from an unconnected Department —Member	

1	2	3	4	5	6
10. Washerman/ Boy	34* (2006) (*Subject to variation dependent on work-load.)	General Central Services Group 'D', Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 to 25 years (Relaxation for Govt. Servants up to 35 years as per instructions/orders issued by the Central Govt.).*

7	8	9	10
Not applicable	Primary School standard pass.	Not applicable	Two years for direct recruits.

11		12			
By absorption failing which by direct recruitment.		Absorption : Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the civil posts in the Defence Services and possessing the qualification as laid down for direct recruits in column 8.			
13		14			
Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :		Not applicable.			
1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel Administration		—Chairman.			
2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer		—Member.			
3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/ equivalent rank from an unconnected Department		—Member.			
1	2	3	4	5	6
11. Safaiwala	2* (2006) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Services, Group 'D', Non-Ministerial, Non-Industrial.	Rs. 2550-55- 2660-60- 3200.	Not applicable.	Between 18 to 25 years (Relaxation for Govt. Servants up to 35 years as per instructions/ orders issued by the Central Govt.)*
7	8			9	10
Not applicable	Desirable : 4th Standard.			Not applicable	Two years
11		12			
By absorption failing which by direct recruitment.		Absorption : Persons serving in similar, equivalent or higher grades who have rendered surplus in the lower formations of the Defence Services.			
13		14			
Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :		Not applicable.			
1. General Officer Commanding/Director/Deputy Director/ Additional Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/ Inspector/Chief Engineer/Chief Engineer Project/Colonel Administration		—Chairman.			

- | | |
|---|----------|
| 2. Senior Administrative Officer/Establishment Officer | —Member. |
| 3. An officer of the rank of Lieutenant Colonel/Major/ equivalent rank from an unconnected Department | —Member. |

***Note:** The crucial date for determining the age limit for direct recruits shall in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Sub-Division of Jammu & Kashmir State, Lohai & Spiti District of Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep. In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date up to which the employment exchanges are asked to submit the names.

****Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

[F. No. 15203/1/AG/MP-4(Civ)(a)/448/RR/D(A)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना आर्डनेंस कोर (तकनीकी पर्यवेक्षी पद समूह "ख") भर्ती नियम, 1980, जहाँ तक उनका संबंध भाग 1 काडर फोरमैन और भाग 2 काडर फोरमैन के पद से है को, उन बातों के मिलाव अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिष्ठापन से पूर्ण किया गया है या करने का सोच किया गया है, सेना आर्डनेंस कोर में 'फोरमैन और सहायक फोरमैन' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना आर्डनेंस कोर फोरमैन और सहायक फोरमैन (समूह 'ख') भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं, आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	------------------	--	---

1	2	3	4	5	6	7
1. फोरमैन	31*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' पद, अनौद्योगिक, अराजपत्रित	7450-225-11500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11	12

पदोन्नति

पदोन्नति :

सहायक फोरमैन जिसने उस श्रेणी में 6500-10500 रुपये वेतनमान में दो वर्ष नियमित सेवा पूर्ण की हो।

प्रारम्भिक संविधान

आरम्भिक नियम-संग्रह अनुसार नये सृजित 31 पदों को उन सहायक फोरमैन (6500-10500 वेतनमान) जिन्होंने सहायक फोरमैन एवं चार्जमैन-1 (5500-9000 वेतनमान) फोरमैन, चार्जमैन-1 पद ग्रहण से पूर्व दोनों पदों को मिलाकर पाँच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, जिसमें सहायक फोरमैन के पद पर एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हो, के द्वारा प्रोन्नति प्रणाली के आधार पर भरा जाएगा। भविष्य में फोरमैन पद की सभी रिक्तियां, दो वर्ष की सेवा पात्रता रखने वाले सहायक फोरमैन द्वारा भरी जाएगी, जैसा कि निर्देशित है।

2497 4866-7

12

टिप्पणी—जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हता पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचारणीय है वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा, आपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जैसे भी कम हो कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :—

इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. आर्डनेंस सेवा के महानिदेशक द्वारा नामनिर्देशित ब्रिगेडियर की रैंक का अधिकारी —अध्यक्ष
2. आर्डनेंस सेवा के महानिदेशक द्वारा नामनिर्देशित कर्नल या निदेशक की रैंक का एक अधिकारी —सदस्य
3. अन्य बल/सेवा/कोर से एक अधिकारी —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक फोरमैन (हिन्दी)	152*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' पद, अनौद्योगिक अराजपत्रित	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
पदोन्नति	पदोन्नति : चार्जमैन जिसने उस श्रेणी में 5500-9000 रु. वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की न्यूनतम अर्हता हो। टिप्पणी—इन पुनरीक्षित नियम की तारीख को चार्जमैन-I का पद धारण करने वाले विद्यमान पदधारी को दसवीं या समकक्ष की अर्हता से छूट प्राप्त है।

प्रारम्भिक संविधान

152 सहायक फौरमैन पदों के लिए नये आरम्भिक नियमानुसार वे कर्मचारी जिन्होंने चार्जमैन-I एवं चार्जमैन-II पद पर (दोनों मिलाकर) छः वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण कर लिया है तथा चार्जमैन-I के पद पर दो वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, वे इस पद के नियुक्ति हेतु योग्य हैं। भविष्य में सभी रिक्तियां उपरोक्त न्यूनतम अर्हता एवं सेवा धारण करने वाले कर्मचारियों में से भरी जाएगी।

टिप्पणी—जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचारणीय हैं वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे :—

इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. आर्डनेंस सेवा के महानिदेशक द्वारा नाम निर्देशित ब्रिगेडियर की रैंक का अधिकारी — अध्यक्ष
2. आर्डनेंस सेवा के महानिदेशक द्वारा नामनिर्देशित कर्नल या निदेशक की रैंक का एक अधिकारी — सदस्य
3. अन्य बल/सेवा/कोर से एक अधिकारी — सदस्य

[फा. सं. ए/24803/आर आर एस/फोरमैन/ओएस-8डी/394/आरआर/रक्षा (नि.)/06]

वी. ए. चावडा, अवर सचिव

New Delhi, the 14th August, 2006

S.R.O. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Ordnance Corps (Group 'C' Technical Supervisory Post) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Part I Cadre Foreman and Part II Cadre Foreman except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating to the method of recruitment to the post of 'Foreman and Assistant Foreman' in the Army Ordnance Corps, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Army Ordnance Corps, Foreman and Assistant Foreman (Group 'B') Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.— The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

2497 9206 - 8

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled casts, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Foreman	31* (2006) (*Subject to variation dependent on work-load)	General Central Services Group 'B', Post, Non-Gazetted	Rs. 7450-225-11500	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by deputation or absorption and percentage of post to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion or absorption to be made
11	12
Promotion	Promotion : Asstt. Foreman in the pay scale of Rs. 6500—10500 having two years regular service in the grade. Initial Constitution The newly created 31 posts may be filled up by the method of promotion as initial constitution basis from Assistant Foreman (Rs. 6500—10500) possessing five years combined regular service as Assistant Foreman and Chargeman-I (Foreman before re-designated as Chargeman-I) in the pay scale of Rs. 5500—9000 out of which one year regular service as Assistant Foreman. All future vacancies of foreman be filled up from

12

Assistant Foreman possessing two years qualifying service as indicated above.

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—

Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

- (1) Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General Ordnance Services —Chairman
2. One officer of the rank of Colonel or Director nominated by the Director General Ordnance Services —Member
3. One officer from other Arms or Services or Corps —Member

1	2	3	4	5	6
2. Assistant Foreman	152* (2006) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'B' Post, Non-Gazetted	Rs. 6500-200-10,500	Selection	Not applicable

7	8	9	10
No applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11

12

Promotion

Promotion

Chargeman-I in the pay scale of Rs. 5500—9000 having three years regular service in the grade possessing minimum qualification of matriculation or equivalent from a recognised university/Board.

Note : The existing incumbents holding the post of Chargeman-I as on the date of these revised rules are exempted of possessing the qualification of matriculation or equivalent.

Initial Constitution

For appointment to 152 posts of Assistant foreman on initial constitution basis, Officers holding the post of Chargeman-I with six years' combined regular service in the grades of Chargeman-I and Chargeman-II with minimum two years regular service as Chargeman-I

12

are eligible. All future vacancies be filled up from Officers possessing the minimum qualifying service as above.

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)

Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/relaxation of any provision of these rules.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Officer of the rank of Brigadier nominated by the Director General Ordnance Services. | —Chairman |
| 2. One officer of the rank of Colonel/Director nominated by the Director General Ordnance Services. | —Member |
| 3. One officer from other Arms or Services or Corps | —Member |

[F. No. A/24803/RRs/Foreman/OS-8D/394/RR/D(A)/06]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

सुखि पत्र

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2006

का.नि.आ. 103.—भारत सरकार के दिनांक 29 जनवरी-4 फरवरी, 2006 के राजपत्र में प्रकाशित का.नि.आ. संख्या 14 दिनांक 24 जनवरी, 2006 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

अनुसूची में कालम 13 टिप्पणी के अधीन क्रमांक 1 समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष

के स्थान पर

अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष

पढ़ें

[फा सं. 10(1)/2005/रक्षा (निर्माणी-1)]

राजेन्द्र सूद, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th August, 2006

S.R.O. 103.—The following amendment is made to S.R.O. 13 dated 24th January, 2006 published in the Gazette Notification dated January 29—February 4, 2006 :—

Under **Column 14** in schedule relating to **Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion, consisting of** against Sl. No. 1

For—Member, Union Public Service Commission—Chairman

Read—Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman

[F. No. 10(1)/2005/D(FY. D)]

RAJINDER SOOD, Under Secy.